राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

:–आदेश:–

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू.अ.नि. ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... / नायब तहसीलदार ..... की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... जिला करौली की जमाबंदी सम्वत ..... में खाता संख्या ..... में तर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	हिण्डौन	खा.सं. बंजर ख.नं.-125 फुटकर- 99 रे.ब.क. 3688/1 रकबा 0.05 हे.	के० पु० कुआँ दर्ज है	बरानी - I के.पु. के० पु० कुआं के स्थान पर बरानी-I दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दिनांकः– 14/05/2022

क्रमांक / कैम्प / 2161-2165

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)